न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 01/22 (अपील)

GCMS No. : 2022/50

अनवान्

1. श्रीमती झमकु पिता शंकर गुर्जर माता नानीबाई निवासी जावड तह. मावली।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री जमनालाल पिता भीमा गुर्जर निवासी जावड तह. मावली।
2. श्री देवीलाल माता हगामी गुर्जर निवासी खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
3. हुडीबाई पुत्री हगामी गुर्जर निवसी खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
4. डाकुबाई पुत्री हगामी गुर्जर निवासी खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
5. सुन्दरबाई पुत्री हगामी गुर्जर निवासी खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
6. अणछाईबाई पुत्री हगामी गुर्जर निवासी खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
7. साहिबाबाई पुत्री हगामी गुर्जर निवास खजुरिया खेडी बिजनोल तह. नाथद्वारा।
8. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. जावड, बाबत ना. सं. 1633 दि. 07.07.2020

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.10.2024

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत जावड बाबत् नामान्तरण संख्या 1633 दिनांक 07.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि गांव जावड पटवार हल्का जावड की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 5, 2782, 1930, 4066 हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1925, 2636, 2639, 2640, 2652, 2667, 2672, 2673, 2681, 2688, 2689, 2691, 2696, 2768, 2778, 2780, 2783, 4005, 4006, 5473/2693, 5477/[illegible], [illegible]78/2781 किता 22 कुल रकबा 4.8886 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर अंकित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में हम अपीलान्ट के पिता शंकर पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

गिरधारीजी गुर्जर के नाम पर एकल खातेदार के रूप में दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 के अनुसार शंकर पिता गिरधारी के नाम अंकित है और उनकी मृत्यु उपरान्त उनके विरासत के नामान्तरकरण से शंकर के बजाय हमारी माता नानी बेवा शंकर व मुझ अपीलान्ट झमकु के नाम पर दर्ज हुई। जो कि ग्राम पंचायत जावड के रजिस्टर क्रमांक 738 पर शंकर पिता गिरधारी का नामान्तरकरण खुलने के वक्त तत्कालीन सरपंच व राजस्व कर्मचारियों ने ग्राम जावड में शंकर पिता गिरधारी के वारिसों की जांच करते हुए उक्त जमीन इस रिपोर्ट के साथ मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी व मेरी माता नानी के नाम पर दर्ज की थी। शंकर पिता गिरधारी के कोई पुत्र नहीं होने से उक्त जमीन उनके वारिसों के नाम पर की जाती हैं। उक्त नामान्तरण आंशिक नामान्तरण था तथा सम्पूर्ण जमीन का नामान्तरकरण पूर्व में नामान्तरकरण सं. 1279 से खोल दिया गया था।

2. यह कि कालान्तर में मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी ने वर्ष 1999 में उक्त जमीन में से अपने हिस्से को जो कि हमे अपने पिता शंकरलाल पिता गिरधारी के मृत्यु उपरान्त उनकी विरासत से हम प्राप्त हुआ था उसको हमने हमारी माता नानी बेवा शंकर के पक्ष में हक त्याग कर दिया तथा नामान्तरण सं. 814 दिनांक 26.05.1999 से उक्त जमीन जरिये हक त्याग हमारी माता के नाम पर दर्ज हो गयी तब से उक्त जमीन हमारी माता के नाम पर सम्पूर्ण खाता अनुसार चली आ रही हैं। यह कि दिनांक 09.06.2018 को मुझ अपीलान्ट की माता नानी बेवा शंकर गुर्जर का स्वर्गवास हो गया जिसके नामान्तरण हेतु पटवरी पटवार हल्का से कई बार सम्पर्क किया लेकिन पटवारी पटवार हल्का द्वारा बार बार कोरोना का डर बता हमे टाल दिया व कई बार सम्पर्क करने के बाद करीबन 15 दिन पूर्व मेने पटवारी से नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमीन जमनालाल दत्तक पुत्र शंकरलाल के नाम दर्ज हो गयी। नामान्तरण की नकले निकलवाई तो पता चला कि उक्त जमीन जमनालाल ने वर्ष 1999 में कोई गोदनामा निष्पादित करवाया था उस हिसाब से शंकरलाल के पुत्र की हैसियत से उक्त जमीन जमनालाल के नाम पर दर्ज हुई हैं। उक्त गोदनामा फर्जी व बनावटी है क्योंकि उक्त गोदनामा में शंकरलाल की मृत्यु 1999 से पूर्व ही हो चुकी थी जिसके हेतु में पृथक से फौजदारी कार्यवाही कर रही हूं जिस कारण भी उक्त नामान्तरण खारिज होने योग्य हैं।

3. यह कि ग्राम पंचायत जावड ने बिना वारिसों की जांच किये और बिना शंकर पिता गिरधारी गुर्जर के [illegible] बिना मुझे सुने मात्र जमनालाल द्वारा प्रस्तुत फर्जी गोदनामा के अनुसार उनके अकेले के नाम पर नामान्तरण खोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

दिया जबकि में अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी शंकरलाल गुर्जर की जायन्दा पुत्रीयां है और यदि जमनालाल का गोदनामा मान भी लिया जाता है तो भी शंकरलाल के वारिसों के अनुसार मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी का उक्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा बनता है और इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में हमारे नाम पर नामान्तरण खुलना चाहिए था। उक्त तथ्यों की जांच किये बिना जमनालाल के पक्ष में खोला गया नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह कि मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन ने हमारे पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से प्राप्त भूमि का हक त्याग किया था न कि हमारी माता के नाम पर अंकित भूमि का और हमारी माता नानी बेवा शंकर के नाम पर अंकित भूमि में मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है और इसी हिस्से अनुसार जमनालाल के पक्ष में खोले गये नामान्तरण में हमारा नाम भी 1/3–1/3 हिस्सानुसार खुलना चाहिए था इसलिए भी उक्त नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 जमनालाल गुर्जर राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर एक फर्जी व बनावटी गोदनामा प्रस्तुत कर उक्त भूमि का नामान्तरण अपने अकेले के नाम पर खुलवा लिया जबकि मैं अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी शंकर पिता गिरधारी गुर्जर की जायन्दा सन्ताने है और बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये और बिना मुझे सुने अन्यथा प्रयोजन से उक्त नामान्तरकरण सं. 1633 जमनालाल अकेले के नाम पर खोल कर विधिक भूल की है इसलिए न्यायहित में उक्त वर्णित भूमियों में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर अंकित भूमि का नामान्तरकरण मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी के नाम पर 1/3–1/3 हिस्सानुसार खोला जावे व उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी के नाम पर उपरोक्त वर्णित हिस्सानुसार अंकन फरमायी जाने का आदेश पारित करने की कृपा करावें।

6. यह कि उक्त गलत रूप से स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण का ज्ञान होने पर हम अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त गलती सुधारने हेतु कहा परन्तु इसने मना कर दिया अंतिम बार दिनांक 02.01.2022 को निवेदन किया तो भी मना कर दिया जिससे अपील कारण उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर जारी हैं।

7. धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण की नकल जमाबन्दी की नकल प्रा[illegible] हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा की गई गलत कार्यवाही की जा[illegible] सकी। दिनांक 01.01.2022 में समस्त नकलो को [illegible] को बताई पटवारी द्वारा मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

करने पर नामान्तरण अपील अन्दर अवधि मयाद प्रस्तुत कर रही हूं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील में हुई देरी को समय प्रदान कर अपील स्वीकार की जावें।

8. अन्त में निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में जारी नामान्तरकरण सं. 1633 दिनांक 07.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे व उक्त वर्णित भूमि में मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी के नाम पर 1/3–1/3 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित फरमाई जावें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील नामान्तरण स० 1633 दिनांक 7–7–2020 के फैसले के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है इस तरह यह अपील करीब डेढ़ साल बाद की गई है इसलिए यह अपील बेरूद मियाद है और इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। यह कि इस मामले में अपीलान्ट स्वंय यह स्वीकार कर आयी है कि पूर्व में विवादग्रस्त जमीन इनके पिता शंकर जी गुर्जर के नाम पर और शंकर जी गुर्जर के मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन शंकर की पत्नि नानी तथा अपीलान्ट झमकु व उसकी बहन हगामी इन तीनो के नाम पर दर्ज हो गई दर्ज होने के बाद दिनांक 5/4/95 को हगामी एव झमकु ने अपनी माता नानी के पक्ष मे हक त्याग (सम्पूर्ण जमीन) का हक त्याग कर दिया तथा हक त्याग रजिस्टर्ड करवा दिया और हक त्याग में उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम रिलिज कर्ता अपने अपने ससुराल में सुखमय जीवन यापन कर रहे है पिताजी के सभी प्रकार की चल व अचल जायदाद जो गाँव जावड़ तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित है इस जायदाद पर हमारा किसी भी प्रकार से हक दखल अधिकार नही हैं। न भविष्य में इस जायदाद के लिए किसी भी न्यायालय में मांग वाद द्वारा पेश करेगी। इस प्रकार अपीलान्ट झमकु स्वयं ने तथा उसकी बहन हगामी ने हक त्याग हारा सम्पूर्ण विवादग्रस्त जायदाद नानीबाई के पक्ष में कर दी और उक्त जमीन नानीबाई के नाम पर दर्ज हो गई। इस तरह विवाद ग्रस्त जमीन नानीबाई के अकेले की मालिकाना हक की हो गई और उसको उक्त जमीन को किसी प्रकार से ट्रासफर करने का अधिकार था।

10. यह कि नानीबाई ने अपीलान्ट झमकु [illegible] यानि अपनी दोनो पुत्रियो की सहमति से मुझ रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड गिफ्टनामा दिनांक 12–6–99 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड करवा दिया तथा गोदनामा के साथ गोदनामा में नानीबाई ने यह भी उल्लेख किया कि इस गोदनामा में मेरी पुत्री हगामी व झमकु की भी सहमति ली गई हैं और मेरे मरने के पश्चात सम्पूर्ण जायदाद का उपयोग श्री जमनालाल करेगा जिसमे इन पुत्रियो का हस्तक्षेप उजर एतराज नही होगा। उस गोद पत्र मे अपीलान्ट व हगामी ने भी अगुष्ठ निशानी कर स्वीकार किया और लिखा कि माता के मरने पश्चात भाई जमनालाल स्वतन्त्र से नानीबाई माता की काश्त भूमि पर अपने नाम पर करायेगा इसमे भी सहमत हैं। हगामी एवं झमकु के निशानी अंगुष्ठ हैं। इस तरह नानीबाई ने गोदनामा के साथ साथ ही इसी मे वसीयत पत्र भी लिख दिया है। इसलिए भी नानीबाई की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत ने जो नामान्तरण मुझ रेस्पोडेन्ट जमनालाल के नाम पर स्वीकृत किया है वह सही स्वीकृत किया है तथा अपीलान्ट को अब इस नामान्तरण को चेलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि उसने स्वंय ने लिखा है कि माता के मरने के पश्चात भाई जमनालाल काश्त भूमि उसके नाम पर कराएगा उसमे हम सहमत हैं। इसलिए अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैं।

11. यह कि अपीलान्ट ने अपील में गोदनामा को फर्जी होना बताया हैं। गोदनामा फर्जी है या सही है यह प्रश्न जब तक अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में गोदनामा खारिज नहीं करवा देवे तब तक उसको फर्जी नही माना जावेगा। उसके लिए अपीलान्ट को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पड़ेगा ।

12. यह कि अपीलान्ट ने अपील में यह स्वीकार किया कि मुझ अपीलान्ट व मेरी बहन हगामी ने पिता की मृत्यु के बाद विरासत की प्राप्त भूमि का हक त्याग किया था। उसी हक त्याग में इन्होंने यह लिखा है कि इस विवादग्रस्त जायदाद पर हमारा किसी प्रकार से हक दखल अधिकार नही हैं। यह हक त्याग दिनांक 5/4/99 का है उसके बाद दिनांक 12/4/99 को नानीबाई ने मुझ रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे गोदनामा/वसीयतनामा सम्पादित कर दिया उसमें स्वयं अपीलान्ट व हगामीबाई ने यह सहमति प्रदान कर दी कि माता के मरने के पश्चात विवादग्रस्त जमीन भाई जमनालाल स्वतन्त्र रूप से जमीन अपने नाम पर करावे उसमे हम भी सहमत है इस तरह यह सारे तथ्य मंजूर सुदा है और वर्तमान मे जमीन पर कब्जा मुझ रेस्पोडेन्ट का हैं। यह कि नामान्तरण कि कार्यवाही यह केवल सरसरी (प्रोसेडिंग) है जिसमे केवल यह देखा जाता है कि जमीन पर कब्जा किसका है तथा मूल व्यक्ति के मरने के पश्चात नामान्तरण किसके किया जावेगा। इस कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते ऐसी अवस्था मे अगर अपीलान्ट इस अपील के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiva Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

माध्यम से किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। रजिस्टर्ड दस्तावेज में उसने जो तथ्य स्वीकार किये है इस अपील के माध्यम से उनको झूठला नहीं सकती है अगर अपीलांट का विवादग्रस्त जायदाद में कोई अधिकार बनता है तो उसके लिए उसको रजिस्टर्ड गोदनामा तथा वसीयतनामा व हक त्याग को सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय मे जाकर उनको केसंल कराने पड़ेगे जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज केसंल नहीं होगे तब तक रेवेन्यू कोर्ट को उनको केन्सल करने का कोई अधिकार नहीं है इस दृष्टि से इस अपील मे किसी प्रकार का कोई दम नहीं हैं।

13. यह कि अपीलान्ट ने यह अपील भूमाफियाओ से मिलकर लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर मुझ रेस्पोडेन्ट से नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से तथा परेशान करने के लिए प्रस्तुत की हैं। इसलिए अपीलान्ट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट् द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 02.01.2022 को हुई। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा तत्काल प्रभाव से नकल प्राप्त कर अपील पेश कर दी गई। अपील अन्दर मयाद पेश की गई हैं। अन्त में निवेदन किया कि धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994 Page 604, RRD 2014 Page 252, RRT 2023 (2) Page 1241 पेश किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 2002 Page 280, RRD 2002 Page 282 पेश किये।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 1633 दिनांक 07.07.2020 को ग्राम पंचायत जावड द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो [illegible] नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को [illegible] सूचना दी गई है, न हीं अपीलान्ट को ज्ञान था। अपीलान्ट का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अपील में वर्णित भूमि अपीलान्ट के पिता शंकरलाल के नाम पर दर्ज थी। जिनके फौत होने पर विरासत से उक्त भूमि अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की बहन हगामी एवं माता श्रीमती नानी के नाम दर्ज हुई। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की बहन हगामी द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 06.04.99 से अपीलान्ट की माता श्रीमती नानी के पक्ष में निष्पादित किया गया। हक त्याग पत्र के आधार पर सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट की माता श्रीमती नानी बेवा शंकर गुर्जर के नाम दर्ज हो गई। अपीलान्ट की माता श्रीमती नानीबाई द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12.04.1999 से रेस्पोडेन्ट सं. 1 जमनालाल को गोद लिया। रजिस्टर्ड गोदनामें में दोनो बहनो के हस्ताक्षर है तथा दोनो ने उक्त गोदनामें में लिखित सहमति दी है कि हम उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा की मांग नहीं करेंगे तथा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि माता के मरने के पश्चात् भाई जमनालाल स्वतन्त्र से नानीबाई माता की काश्त भूमि अपने नाम पर करवायेगे इससे भी सहमत हैं। इस प्रकार अपीलान्ट एवं अपीलान्ट की बहन हगामी द्वारा उक्त गोदनामें को स्वीकार किया गया हैं। अपीलान्ट की माता श्रीमती नानीबाई बेवा शंकर गुर्जर फौत होने के पश्चात् रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1633 दिनांक 07.07.2020 ग्राम पंचायत जावड द्वारा पारित किया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती हैं। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त गोदनामा फर्जी एवं बनावटी हैं। उक्त बिन्दू पर सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही समरी कार्यवाही है जो किसी भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं करती हैं। यदि गोदनामें के सम्बन्ध में अपीलान्ट उसे विवादस्पद कहते है तो इस सम्बन्ध वे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं, जहां से पक्षकारान के वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में अधिकार निर्णित किये जा सकेगें। अपीलान्ट द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि का हक त्याग करने एवं रजिस्टर्ड गोदनामें में सहमति देने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1633 दिनांक 07.07.2020 पारित किया गया है जो विधि विरूद्व नहीं हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested